

302
2025

HCMJ - 2025/667
SDO

ग्रामीण सेवा शिबिर

प्रपत्र-8

राजस्थान सरकार
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर...
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट).....

:- आदेश :-

11/11/25

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी सुपेन्द्र व भूअनि. जयवती की रिपोर्ट तथा तहसीलदार राजेश नायब तहसीलदार जयवती की अनुरासा के आधार पर राजस्थान नू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुराण में ग्राम सुपेन्द्र तहसील जयवती व जिला सुपेन्द्र की जमाबन्दी सम्वत् 2025-2028 खाता संख्या 444 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते है :-

क्र.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है)
1.	<u>सुपेन्द्र</u>	<u>444</u>	<u>सुपेन्द्र सुक सुपेन्द्र जाति-राजी</u>	<u>सुपेन्द्र सुक सुपेन्द्र सुक जाति-राजी</u>

उपखण्ड अधिकारी
पीठासीन अधिकारी
लोक अदालत
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहा.कलक्टर,

क्रमांक :-

दिनांक :-

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्री को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली ।

उपखण्ड अधिकारी
लोक अदालत
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहा. कलक्टर